



DD FREE DISH

DD FREE DISH DEFERRED PAYMENT OPTION

State-run public broadcaster Prasar Bharati recently notified deferred carriage fee payment options for channels airing on DD Free Dish after considering the representations sympathetically and has offered two different options for the deferred payment.

The public broadcaster drew the attention to its earlier email dated 7th April and 13th April wherein it had offered an extension of time for payment of installments up to 27th June 2020 subject to furnishing of a Bank guarantee and payment of reduced interest at 5.7% on the delayed payment. The broadcaster received subsequent various representations with a syndicate of free to air broadcasters writing to the government to step in. Recently, Swami Films Entertainment moved TDSAT against Prasar Bharati on deferred carriage fee payment. Prasar Bharati has now offered substantial relief for a period of three months.

OPTION 1

The channel can furnish separate bank guarantees having validity of four months each towards the amount of each installment plus interest at 5.7% per annum for 3 months to avail deferment from the requirement of paying the carriage fee in advance monthly installment, up to three months. The channel would also have to undertake to pay the installment amount with interest after availing the deferment for three months.



डीडी फ्री डिश का भुगतान विकल्प स्थगित

सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने हालही में डीडी फ्रीडिश पर प्रसारित चैनलों के लिए कैरिज शुल्क भुगतान विकल्प पर सहानुभूतिपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद भुगतान के स्थगन के लिए दो अलग-अलग विकल्पों की पेशकश की है।

सार्वजनिक प्रसारक ने 7 अप्रैल व 13 अप्रैल को भेजे गये अपने आरंभिक ई-मेल की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें इसने 27 जून 2020 तक किस्तों के भुगतान के लिए समय की अवधि बढ़ाने की पेशकश की थी, जो बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने और विलंबित भुगतान पर 5.7% कम ब्याज के भुगतान के अधीन था। इसके बाद प्रसार भारती को विभिन्न प्रसारकों का अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसमें फ्री-टू-एयर प्रसारकों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। हालही में कैरिज शुल्क भुगतान को स्थगित करने के लिए स्वामी फिल्म इंटरटेनमेंट ने प्रसार भारती के खिलाफ डीटीसेट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि प्रसार भारती ने अब तीन महीने की अवधि के लिए पर्याप्त राहत की पेशकश की है।

विकल्प 1

चैनल, तीन महीने तक अग्रिम मासिक किस्तों में कैरिज शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता से बचने के लिए 3 महीने के लिए प्रत्येक किस्त के साथ प्रति वर्ष 5.7% ब्याज की दर से चार महीने की वैधता वाले अलग-अलग बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है। चैनलों को तीन महीने तक टालने के बाद ब्याज के साथ किस्त राशि का भुगतान करने का भी काम करना होगा।



INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE
CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW!



- ◆ In-depth & Unbiased Market Information
- ◆ Technology Breakthroughs
- ◆ Comprehensive Circulation Across The Satellite & Cable TV Industry

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: scat.sales@nm-india.com

The deferment is applicable for three months i.e May, June, and July 2020 which are the 2nd, 3rd, and 4th installments payable on 27th April 2020, 27th May 2020, and 27th June 2020 respectively.

Channels that want to avail the benefit this month need to furnish bank guarantees by 22nd May whereas if they have already paid the installment for May, then they can avail the benefit for the months of June, July, and August 2020. To avail the benefits for the months of June and July, they have to furnish bank guarantees by 27th May and 27th June 2020.

The deferred payments will become payable on 27th July 2020, 27th August 2020 and 27th September 2020 respectively, along with instalments for August, September and October 2020.

OPTION 2

If the channels are not able to furnish a bank guarantee, they can instead pay 67% of the carriage fee installments for three months with the balance 33% deferred payment of monthly installments becoming payable after availing the time relaxation of three months for each installment. The deferment is applicable for the 2nd, 3rd, and 4th installments for months of May, June, and July that are payable on 27th April 2020, 27th May 2020, and 27th June 2020 respectively.

The balance 33% would be payable at an interest of 5.7% per annum for a period of three months. The balance 33% would become payable on 27th July 2020, 27th August 2020, and 27th September 2020 along with the payment of the regular instalment for the months of July, August and September 2020.

Similar to option 1, if the channel has already paid the installment for May then it can avail the benefit for June, July, and August. If any channel doesn't wish to seek both relaxations, then it will be offered an incentive of 0.5% on the total amount payable by them which would be adjusted from the 10th installment. For the three months, such channels can pay the installments on a fortnightly basis.

Prasar Bharati is also offering an option for channels that have been removed from the platform or gone and have opted not to come to the platform by availing the relaxations subject to their paying the installment for April by 22nd May 2020.

Prasar Bharati will disconnect such channels that fail to send in the receipt of bank guarantees or payments without any notice. ■

यह स्थगन तीन महीने यानि मई, जून व जुलाई 2020 के लिए लागू है जो क्रमशः 27 अप्रैल 2020, 27 मई 2020 और 27 जून 2020 को देय 2, 3 व 4थी किस्तों के लिए है।

चैनल, जो कि इस महीने लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें 22 मई तक बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, हालांकि अगर उन्होंने पहले ही मई के लिए किस्त का भुगतान कर दिया है तो वे जून, जुलाई व अगस्त 2020 के महीने के लिए लाभ उठा सकते हैं। जून व जुलाई के महीनों के लिए लाभ उठाने के लिए उन्हें 27 मई और 27 जून 2020 तक बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

यह स्थगित भुगतान 27 जुलाई 2020, 27 अगस्त 2020 व 27 सितंबर 2020 को क्रमशः अगस्त, सितंबर व अक्टूबर 2020 के लिए किस्तों के साथ देय हो जायेगा।

विकल्प 2

यदि चैनल बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं तो वे तीन महीने के लिए कैरिज शुल्क की किस्तों में से 67% का भुगतान कर सकते हैं, शेष 33% मासिक किस्तों का भुगतान प्रत्येक भुगतान के लिए तीन महीने की समय छूट का लाभ उठाने के बाद देय हो सकता है। मई, जून व जुलाई महीने के लिए 2, 3 व 4 किस्तों को टालना उचित है जो क्रमशः 27 अप्रैल 2020, 27 मई 2020 और 27 जून 2020 को देय है।

शेष राशि 33% तीन महीने की अवधि के लिए 5.7% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज पर देय होगी। शेष राशि का 33%, जुलाई, अगस्त व सितंबर 2020 के महीनों के लिए नियमित किस्तों के भुगतान के साथ 27 जुलाई 2020, 27 अगस्त 2020 व 27 सितंबर 2020 को देय होगा।

विकल्प 1 के समान, यदि चैनल ने पहले ही मई के लिए किस्त का भुगतान कर दिया है तो वह जून, जुलाई व अगस्त के लिए लाभ ले सकता है। यदि किसी चैनल को दोनों छूटों में से किसी की जरूरत नहीं है तो उसे उसके द्वारा देय कुल राशि पर 0.5 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जायेगा जिसे कि 10 वीं किस्त में समायोजित किया जायेगा। इस तरह के चैनल तीन महीने के लिए एक पखवाड़े के आधार पर किस्तों का भुगतान कर सकते हैं।

प्रसार भारती उन चैनलों के लिए भी एक विकल्प प्रदान कर रहा है जिन्हें प्लेटफार्म से हटा दिया गया है या जिन्होंने 22 मई 2020 तक अप्रैल के लिए किस्त का भुगतान करने के लिए छूट के तहत प्लेटफार्म पर नहीं आने के विकल्प को चुना है।

प्रसार भारती वैसे चैनलों को बंद कर देगा जो कि विना किसी सूचना के बैंक गारंटी या भुगतान की रसीद भेजने में विफल रहते हैं। ■